न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

PBR/पुनर्विलोकन/भोपाल/भू.रा/2017/4289 प्रकरण क्रं. /

श्रीमती संगीता साहू पत्नि श्री
इन्द्रजीत साहू आयु वयस्क
निवासी–म0नं0–36 श्रीनगर कॉलोनी
निशातपुरा बैरसिया रोड
भोपाल म0प्र0 ------ पुर्नविलोकनकर्ता/आवेदिका

विरूद्ध

नवकृष्ण एजुकेशन सोसायटी
द्वारा सुरेन्द्र कुमार मित्तल
मित्तल कालेज भोपाल मेमोरियल
चिकित्सालय के सामने करौंद
भानपुर बायपास रोड,
भोपाल ------ उत्तरदाता/अनावेदक

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

उक्त पुर्नविलोकन आवेदन पत्र माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 1038/पी.बी.आर./2016 पक्षकार श्रीमती संगीता साहू विरूद्ध नवकृष्ण एजुकेशन सोसायटी में पारित आलोच्य अन्तिम आदेश दिनांक 12/09/2017 के विरूद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर समयावधि में विधिक ठोस आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है :–

पुर्नविलोकन आवेदन के तथ्य

यह कि पुर्नविलोकनकर्ता के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/रिव्यु/भोपाल/भू.रा./2017/4289

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–12–17	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1038–पीबीआर/2016 में पारित आदेश दिनांक 12–9–2017 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने जो इस न्यायालय का पूर्व आदेश निगरानी 1846–पीबीआर/2014 दिनांक 16–2–2016 प्रस्तुत किया है उसके प्रकाश में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12–9–17 का परीक्षण किया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12–9–17 के निष्कर्ष के जो आधार लिये गये हैं वह पृथक आधार हैं तथा निगरानी प्रकरण कमांक 1846–पीबीआर/2016 में पारित आदेश दिनांक 16–2–2016 से वह निष्कर्ष प्रभावित नहीं होते है । स्पष्ट है कि आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हो । अध्यक्ष	